

## परिशिष्ठ

### (देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

#### भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

#### परियोजना विवरण :-

1.

- (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणर्थीयों के प्रशिक्षण हेतु
- (ख) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके :- संलग्न है।  
आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला  
मैप।
- (ग) परियोजना की लागत। :- ..... लाख
- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का :- उक्त कार्य हेतु आरक्षित वनभूमि अधिगृहण करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
- (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के :- आवश्यकता नहीं है  
लिए)
- (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :- लगभग 100 मानव दिवस
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। :- संलग्न है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- उक्त निर्माण कार्य से कोई भी परिवार प्रभावित नहीं होगा।
- (क) परिवारों की संख्या :- शून्य
- (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या छें :- शून्य
- (ग) पुर्ववास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :- आवश्यकता नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं) :- हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण :— संलग्न है।  
और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की  
लागत के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार  
की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और  
सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की  
वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण :— संलग्न है।  
पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।

दिनांक :— 03/12/2019

स्थान :— उत्तरकाशी

  
प्रधानाचार्य  
एन0आई0एम,  
उत्तरकाशी  
**PRINCIPAL**  
**N.I.M., UTTARKASHI**

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)